न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 10/2020 अपील (GCMS/2020/00010)
पंजीयन दिनांक - 15.01.2020
निर्णय दिनांक - 24.08.2021

1. श्री तख्ता पिता गांगा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्री जेता पिता पेमा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्री नाना पिता उदा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्री रामा पिता चेना भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
5. श्री नवा पिता चोखा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
6. श्री नारू पिता हरजी भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
7. श्री भूरा पिता हिरा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
8. श्री दला पिता पन्ना भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
9. श्री भीमा पिता वेणा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
10. श्री गमना पिता गोपा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
11. श्री उमा पिता लाला भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
12. श्री पारू पिता लाडू मेघवाल, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
13. श्री मोहन पिता भजा मेघवाल, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
14. श्री बाबू पिता वरदा मेघवाल, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
15. श्री बाबू पिता उमा मेघवाल, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
16. श्री फतहसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
17. श्री जालमसिंह पिता रतनसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
18. श्री चन्दनसिंह पिता सवसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
19. श्री दोलतसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
20. श्री पदमसिंह पिता देवीसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
21. श्री भंवरसिंह पिता हीरसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
22. श्री हरिसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
23. श्री बाबूसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
24. श्री नवलसिंह पिता फूलसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

25. श्री जवानसिंह पिता दोलतसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

26. श्री लालू पिता केशा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

27. श्री मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

28. श्री लच्छा पिता कालू भील, निवासी मादा वजाजी का वास, तह.गोगुन्दा, जिला उदयपुर

29. श्री पदाराम पिता लखमा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

30. श्री गंगाराम पिता गेगा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

31. श्री धनराज पिता जगन्नाथ सुथार, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

32. श्री हेमा पिता रोडा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

33. श्री वरदा पिता हमेरा भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

34. श्री दलपतसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

35. श्री किशनसिंह पिता भजयसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

36. श्री चेनसिंह पिता देवीसिंह राजपूत, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

37. श्री राजा पिता माइग भील, निवासी मादा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री नवा पिता तला भील, निवासी मलारिया कला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

2. श्रीमती थावरी पत्नी नवा भील, निवासी मलारिया कला, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

-प्रत्यर्थी

उपस्थितिः-

1. श्री गिरिजा शंकर मेहता	- वकील अपीलार्थी (लिखित बहस पेश)
2. श्री मनीष शर्मा	- वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-16/2017, श्री तख्ता भील व अन्य बनाम श्री नवा व अन्य में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 24.08.2021

उक्त अपील अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970, जिसके प्रकरण संख्या-16/2017, अनवान श्री

तख्ता भील व अन्य बनाम श्री नवा व अन्य हैं, पर पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- मौजा मादा, तहसील गोगुन्दा की साबिक आराजी संख्या 2488 रकबा 16.0500 हेक्टेयर मे से 0.8000 हे. भूमि (आराजी संख्या 2900/2488) पर प्रभारी अधिकारी (भू-आवंटन/नियमन) पंचायत समिति गोगुन्दा द्वारा मिसल नम्बर 221/2003 से प्रत्यर्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 20.06.2003 को पारित किया गया।

- आवंटी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 का प्रस्तुत किया।

- अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 का अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 06.02.2019 को पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 06.02.2019 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 14.01.2020 को मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 26.07.2021 को वकील पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रत्यर्थी की बहस सुनी गई और अधिवक्ता अपीलार्थी को 7 दिवस में लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस एवं अपील मेमो में तर्क प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2019 न्याय एवं विधि के सिद्वान्त के विपरित होने से अपास्त योग्य है। मौजा मादा पटवार हल्का छाली, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर में आराजी नम्बर 2488 रकबा 16.0500 हेक्टेयर किस्म बीड भूमि को अपीलार्थीगण एवं ग्राम मादा के सभी निवासीयान अपने पशुओ के घास चराई हेतु उपयोग में लेते रहे है। उक्त सम्पूर्ण आराजी अकृषि योग्य होकर केवल पशुओं के घास चराई हेतु उपयोग में ली जाती रही है। उक्त आराजीयात के अलावा ग्राम मादा में पशुओं हेतु कोई चारागाह भूमि नहीं है। इसी वजह से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया तथा ग्राम मादा के निवासीयान के निवेदन पर वर्ष 2008-09 में ग्राम पंचायत छाली द्वारा रतनजोत आदि पेड़ भी लगाये जाकर उक्त भूमि को ग्राम वासियान द्वारा अघोषित चारागाह के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त भूमि को चारागाह भूमि घोषित करने हेतु भी ग्राम पंचायत व पंचायत समिति एवं तहसीलदार आदि को ग्रामवासियान द्वारा लिखित रूप से निवेदन किया गया। उक्त आराजी नम्बर 2488 रकबा 16.0500 हेक्टेयर भूमि पर किसी भी व्यक्ति का आज दिनांक तक न तो कब्जा है न ही किसी व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य किया गया है फिर भी बिना किसी विधिवत घोषणा के उक्त आराजीयात में से 0.6000 हेक्टेयर भूमि को दिनांक 20.06.2003 को जरिये मिसल नम्बर 221/2003 द्वारा

विपक्षीगण को गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर आराजी नम्बर 2900/2488 रकबा 0.8000 हेक्टेयर भूमि डाल दी गयी है। उक्त तथ्यों की बिना जानकारी किये प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर कागजों में ही भूमि का आवंटन कर लिया गया है तथा मौके पर किसी भी आवंटी को कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है एवं न ही किसी आवंटी द्वारा आज दिनांक तक नियमों के अनुरूप कृषि कार्य किया है। इसी वजह से तथाकथित आराजी एवं रकबा की पेमुदगी आज दिनांक तक नक्शा ट्रेस पर नही की गयी है। कब्जे के अभाव में उक्त आवंटन स्वतः निरस्तनीय है। यदि प्रत्यर्थीगण को आवंटित आराजीयात का आवंटन निरस्त नहीं किया जाता है तो अपीलार्थीगण एवं समस्त ग्रामवासियान मादा को अपूरणीय क्षति होगी क्योकि उक्त आराजी के अलावा ग्राम मादा के किसानों के मवेशीयों के गोचर हेतु अन्य भूमि नहीं है। प्रत्यर्थीगण ग्राम मादा के निवासी न होकर अन्य गांव मलारियाकला के निवासी है। जिनका उक्त भूमि से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में हस्तगत प्रकरण समस्त ग्रामवासियान का होने के कारण सभी पक्षकारान एक दुसरे के भरोसे पर रह जाने के कारण वह समय पर अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करने से निर्णय की जानकारी नहीं हुई और सूचना मिलते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश अपास्त कर प्रत्यर्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी ने अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस के खण्डन में तर्क प्रस्तुत किया है कि आवंटन से पूर्व प्रत्यर्थी भूमिहीन काश्तकार थे। वक्त आवंटन आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण था एवं विधिवत विपक्षीगण को उक्त आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया हैं एवं आवंटन शर्तो की पालना करने से ही उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त आवंटन निरस्ती के प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी प्रत्यर्थी का कब्जा उक्त आराजीयात पर होना पाया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को जमीन से बेदखल करने का प्रयास करने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा में वाद अन्तर्गत धारा 188, 92-ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् दर्ज कराया गया है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा स्थगन जारी किया गया है। अतः पक्षकारों के अधिकार उक्त वाद में ही तय होने है। प्रत्यर्थी को उक्त आराजीयात का आवंटन वर्ष 2003 मे हुआ हैं एवं इस तथ्य की जानकारी अपीलार्थीगण को होते हुए भी उनके द्वारा आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र जानबुझकर वर्ष 2017 मे इतने समय पश्चात् प्रस्तुत किया हैं। आवंटन मे किसी प्रकार मिसप्रजेन्टेशन नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार आवंटित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा होना पाया गया है। उक्त आवंटित आराजीयात को चारागाह घोषित करने के लिये कोई कार्यवाही पूर्व मे की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं न ही इस बाबत् तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे कोई उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विचार विश्लेषण एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है, मयाद उपशमन बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है, अपीलार्थी को प्रत्येक दिन हुए विलम्ब के कारणों से

न्यायालय को संतुष्ट किया जाना है, जो नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर ही निरस्तनीय है। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने के अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 14.01.2020 को अपील प्रस्तुत की गई जो 11 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम पर दौराने बहस आपत्ति जाहिर की और मयाद के बिन्दु पर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में सवप्रर्थम हम मयाद के बिन्दु को तय किया जाना उचित समझते है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि है। उक्त प्रकरण में हस्तगत प्रकरण समस्त ग्रामवासियान का होने के कारण सभी पक्षकारान एक दुसरे के भरोसे पर रह जाने के कारण वह समय पर अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करने से निर्णय की जानकारी नहीं हुई और सूचना मिलते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। हमनें अपीलार्थी के उक्त कथनों का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं निर्णय के परिपेक्ष्य में विचार विश्लेषण किया और पाया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित हुए, जिसका वर्णन निर्णय में किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर 11 माह से अधिक समय तक अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। 11 माह से अधिक की देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकन किया है कि ***"प्रकरण में विवाद विपक्षीगण को आवंटित आराजी जिसके हाल आराजी संख्या 2900/2488 रकबा 0.8000 हेक्टेयर का है। आवंटन पत्रावली संख्या 221/2003 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदन करने पर***

पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षीगण को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर विधायक, विकास अधिकारी, प्रधान, तहसीलदार आदि के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी (भू-आवंटन/नियमन) पंचायत समिति गोगुन्दा के भी हस्ताक्षर मौजूद है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण राय के आधार पर हुआ है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में कब्जा प्राप्तकर्ता के रूप में विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक एवं गवाहान की उपस्थिति में मौजूद है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट को आवंटित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा होना पाया गया है तथा जहां तक प्रकरण मे ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर वाउण्ड्रीवाल बनाया जाना, रतनजोत का पौधारोपण किया जाना व चेकडेम बनाये जाने का प्रश्न है। इस संबंध मे किसी भी खातेदार की भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाना एवं चेकडेम निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं, फिर भी यदि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य कराया गया है, तो इसके लिये ग्राम पंचायत स्वयं उत्तरदायी है। उक्त आवंटित आराजीयात को चारागाह घोषित करने के लिये कोई कार्यवाही पूर्व मे की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं न ही इस बाबत् तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे कोई उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के फलस्वरूप ही प्रदान किये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।'

आवंटन को निरस्त करने का क्या नियम है? यह जांचने के लिये हमें राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोग हेतु भूमि आवंटन) नियम-1970 का नियम-14(4) का अवलोकन करना होगा। नियम-14(4) निम्न प्रकार है :-

''उपखण्ड अधिकारी या (तहसीलदार) द्वारा या नियम-21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्ववप्रेरणा से यह किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है, या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग किया हो।

परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।''

उक्त नियम के अनुसार कलक्टर (जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी सम्मिलित है) भूमि का आवंटन निरस्त कर सकता है बशर्ते वह धोखा (फ्राड), गलत बयानी (Mis representation) अथवा नियमों के विरूद्ध किया गया हो। इस प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो सके कि उक्त आवंटन धोखा अथवा गलत बयानी के द्वारा करवाया गया था और वह नियमों के विपरीत था।

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत अपील की कार्यवाही दौरान लिखित बहस एवं अपील मेमों के वर्णित कथनों के समर्थन के कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, और न ही अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उपरोक्त निर्णय में वर्णित तथ्यों व विधिक विश्लेषण के खण्डन में कोई दस्तावेज

प्रस्तुत किये है। अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है। अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर आवंटित भूमि पर कब्जे की जांच की गई और कब्जा आंवटी का पाया गया। अपीलार्थी न ही न्यायालय हाजा एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय समक्ष यह प्रमाणित कर पाया है कि आवंटित आराजीयात को चारागाह घोषित करने के लिये कोई कार्यवाही पूर्व मे की गई। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष के खण्डन में एवं आवंटन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विवादित आराजीयात पर प्रत्यर्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार निर्धारित प्रक्रिया पालना करते हुए आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के फलस्वरूप ही प्रदान किये जाते है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह प्रतिप्रादित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात ऐसी भूमि पर आवंटन नियमों के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती एवं ऐसी भूमियां आवंटन नियमों के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाती है एवं इन भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। आवेदक द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र पेश करने में कोई छल किया हो व तथ्यों को छुपाया हो, हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार के कोई तथ्य प्रकट नहीं होते है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से यह साबित होता है कि प्रत्यर्थी को विवादित भूमि का विधिवत आवंटन हुआ है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है और वह नियमों के विपरीत नहीं है। ऐसी दशा में आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर ने प्रार्थना पत्र धारा-14(4) अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 का खारिज करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है एवं अपीलान्ट यह साबित नहीं कर पाये कि आवंटन धोखा देकर या गलत बयानी करके हुआ है। अतः हम उक्त अपील में कोई सार नहीं पाते हैं।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 यथावत रखा जाता है एवं प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किया आवंटन आदेश दिनांक 20.06.2003 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर